संख्या-1095/एक-10-2024

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
गृह विभाग,
उ0प्र0 शासन।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक: 03 जुलाई, 2024

विषय- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं से बचाव एवं सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु पुलिस रेडियो संचार की आपात सेवाओं के सुदृढीकरण करने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की कैपेसिटी बिल्डिंग मद से उपकरणों के क्रय हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-उप0प्रको0-183-2023(महाकुम्भ-2025/यातायात, दिनांक 24.06.2024 जो कि आपको सम्बोधित एवं अन्य को पृष्ठांकित है, तथा उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) तकनीकी उ0प्र0 पुलिस रेडियो मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.06.2024 के क्रम में महाकुम्भ मेला 2025 के दौरान वृहद स्तर पर तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों के एकत्रित होने के कारण किसी भी आपदा से निपटने हेतु पूर्व तैयारी के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से निम्नलिखित विवरण के अनुसार पुलिस दूरसंचार की आपात सेवा के उपयोगार्थ उपकरणों के क्रयार्थ धनराशि रू0 34,57,94,579/- (रूपये चौंतीस करोड़ सत्तावन लाख चौरानबे हजार पांच सौ उन्यासी) की वितीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

<u>तालिका-ए- रेडियो संचार उपकरणों एवं उनकी सहवर्ती उपकर्मिकाएँ</u>

क्र0	उपकरण का नाम	प्रस्तावित संख्या	व्ययभार (रू0 में)
1	डिजिटल एचएफ रेडियो सेट मय सहवर्ती उपकर्मिकाए	04	26,40,000.00
2	डिजिटल वीएचएफ स्टैटिक रेडियो सेट मय सहवर्ती उपकर्मिकाएं	500	1,99,64,000.00
3	हैवी ड्यूटी बैटरी 12 वोल्ट 100 एएच लिथियम आयन बैट्री स्टैटिक सेट हेतु	750	2,43,37,500.00
4	21 मीटर न्यूमेटिक टेलिस्कोपिक मास्ट अधिष्ठापन सहित	150	2,73,07,500.00
5	मोबाइल कण्ट्रोल हेतु हाइड्रोलिक मास्ट	5	47,00,000.00
6	डिजिटल वीएचएफ मोबाइल रेडियो सेट मय सहवर्ती	750	2,99,46,000.00

	उपकर्मिकाएं		
7	डिजिटल वीएचएफ हैण्ड हेल्ड रेडियो सेट मय सहवर्ती उपकर्मिकाएं विद स्पेयर बैटरी	2500	8,92,50,000.00
8	डिजिटल वीएएच हैण्ड हेल्ड रेडियो सेट हेतु स्पेयर बैटरी	2500	1,00,00,000.00
9	डिजिटल वीएचएफ रिपीटर सेट मय सहवर्ती उपकर्मिकाएं	50	1,12,28,000.00
10	सिंगल फ्रीक्वेन्सी वीएचएफ रिपीटर सेट मय सहवर्ती उपकर्मिकाएं	12	1,12,89,600.00
11	टूल किट/मापक तकनीकी उपकरण	01 लॉट	5,40,540.00
12	अधिष्ठापन सम्बन्धी तकनीकी उपकरण	01 लॉट	69,57,713.00
13	अन्य तकनीकी सामग्री	01 लॉट	20,01,747.00
14	महाकुम्भ मुख्य कण्ट्रोल रूम की स्थापना हेतु तकनीकी/सहवर्ती सामग्री	01 लॉट	30,00,000.00
15	महाकुम्भ क्षेत्र में विभिन्न संचार ग्रिडों की स्थापना हेतु तकनीकी/ सहवर्ती सामग्री	01 लॉट	20,00,000.00
16	टेक्निकल ट्रेनिंग एवं ब्रीफिंग सेन्टर	01	50,00,000.00
17	तीन स्थानों पर टेक्निकल ब्रीफिंग/डी-ब्रीफिंग एण्ड कोआर्डिनेशन सेन्टर	03	1,65,00,000.00
18	दो स्थानों पर सेटेलाइट टेक्निकल ब्रीफिंग एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर	02	17,50,000.00
19	पोलनेट 2.0 (फ्लाईवे वी-सेट टर्मिनल)	01	26,00,179.00
20	फ्रिक्वेन्सी प्रोग्रामिंग यूनिट (स्टैटिक)	24	24,48,000.00
21	फील्ड फ्रिक्वेन्सी प्रोग्रामिंग यूनिट(पोर्टेबल)	24	28,32,000.00
22	डिजिटल मल्टीफंक्शनल फोटोकापीयर मशीन ए-3 /लीगल	05	11,90,000.00
23	डिजिटल मल्टीफंक्शनल फोटोकापीयर मशीन ए-4	12	11,02,800.00
24	जनपदीय कण्ट्रोलरूम एवं अन्य केन्द्रों हेतु हैवी ड्यूटी बैटरी 12 वोल्ट 100 एएच लिथियम आयन बैट्री	500	1,62,25,000.00
25	एन्ड्रायड मोबाइल फोन	75	12,52,500.00
26	इण्टरनेट हाट स्पाट डेटा कार्ड (पोर्टेबल)	10	30,000.00
27	कण्ट्रोल रूम हेतु फाइबर कनेक्टिविटी (300 mbps-1Gbps)	02	90,000.00
28	डायग्नोस्टिक टैब	20	12,00,000.00
29	एलईडी टेलीविजन 55 इंच विद 03 मन्थ रिचार्ज	05	4,15,000.00
	कुल योग		**29,77,98,079.00**

तालिका-बी- **POC (Push To Talk Over Cellular)**

S.No.	Descritption	Per Unit Price in Rs.	Qty.	Total Cost without GST in Rs.	Total Cost with GST @18% in Rs.
1	POC Perpitual License				
1.1	LTE Communication application Software Client for Android/Linux capable Mobile Set (Group call, Private call- simplex & full duplex; AES256) with one time license fee	5,000.00	1250	62,50,000.00	73,75,000.00
1.2	LTE Communication Client application module for remote monitoring with one time license fee	2,500.00	1250	31,25,000.00	36,87,500.00
2	**POC Floating License for 06 Months**				
2.1	LTE Communication application Software Client for Android/Linux capable Mobile Set (Group call, Private call- simplex & full duplex; AES256) with 06 Month license fee	2,000.00	1000	20,00,000.00	23,60,000.00
2.2	LTE Communication Client application module for remote monitoring with 06 Month license fee	1,500.00	1000	15,00,000.00	17,70,000.00
3	Mobile Set with Rugged Cover & Data Sim	20,000.00	1250	2,50,00,000.00	2,95,00,000.00
4	Console Dispatch Software with Redundancy :: One time Cost	4,50,000.00	2	9,00,000.00	10,62,000.00
5	Network Management Software with one time License Fee	5,50,000.00	1	5,50,000.00	6,49,000.00
6	Cloud storage Cost :: Opex	10,00,000.00	1	10,00,000.00	11,80,000.00
7	One time Installation, Testing &	3,50,000.00	1	3,50,000.00	4,13,000.00

	Commissioning Charges				
TOTAL (1 to 7)				4,06,75,000.00	4,79,96,500.00

योग तालिका-ए और तालिका-बी

क्र0सं0	संचार संसाधन/उपकरण	व्ययभार (रू0 में)
1	रेडियो संचार उपकरणों एवं उनकी सहवर्ती उपकर्मिकाओं पर आने वाला व्ययभार	29,77,98,079.00
2	POC (Push To Talk Over Cellular) पर आने वाला व्ययभार	4,79,96,500.00
	कुल योग	34,57,94,579.00

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 08.02.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तथा गृह विभाग एवं अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ व उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) तकनीकी उ0प्र0 पुलिस रेडियो मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार महाकुम्भ मेला 2025 के दौरान आपदा की स्थिति में तीर्थ यात्रियों/पर्यटकों की सुरक्षा एवं स्नानार्थियों की अत्यधिक भीड के दृष्टिगत आपदा से बचाव हेतु पूर्व तैयारी हेतु पुलिस रेडियो संचार उपकरणों एवं सहवर्ती उपकर्मिकाओं/संसाधनों के क्रय किये जाने हेतु उपरोक्त प्रस्तर-1 की तालिकाओं में उल्लिखित विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि से कुल धनराशि रू0 34,57,94,579/- (रूपये चौंतीस करोड़ सत्तावन लाख चौरानबे हजार पांच सौ उन्यासी) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अपर मुख्य सचिव गृह विभाग के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबंध-</u>

1. राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटन एवं व्यय के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDM-1, दिनांक 22-04-2022 द्वारा मानक निर्धारित करते हुए गाइडलाइन जारी की गयी है। गृह विभाग अपने स्तर से धनराशि अवमुक्त करते समय गृह विभाग/पुलिस रेडियो मुख्यालय यह सुनिश्चित कर लेगें कि राज्य आपदा मोचक निधि से Preparedness and Capacity Building के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा उक्त निर्गत गाइडलाइन के अनुरूप ही धनराशि व्यय करने की अनुमति दी जाएगी। कुछ आइटम भारत सरकार की निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार Qualifying की श्रेणी में नहीं आ रहे है इस सम्बन्ध में गृह विभाग द्वारा अपने स्तर से परीक्षण करते हुए गाइडलाइन के अनुरूप Items की अनुमन्यता का ध्यान रखते हुए ही धनराशि अवमुक्त की जाएगी।
2. राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइ्डलाइंस के अनुसार किया जायेगा। विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गा्ईडलाईन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।
3. उक्त धनराशि से क्रय किये गये उपकरण आदि सामग्री का उपयोग केवल कुम्भ के दौरान ही नहीं

अपितु किसी समय किसी भी आपदा के घटित होने पर पुलिस रेडियो संचार सेवा विभाग द्वारा सक्रिय रूप से किया जायेगा, जिससे आपदा के दौरान जनहानि, धनहानि को न्यूनतम करने के लिए सेण्डई फ्रेमवर्क के निर्धारित लक्ष्य को वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जा सके।

4. राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
5. जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।
6. क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय /वेतन/ईधन / मरम्मत/ अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व गृह विभाग/पुलिस रेडियो मुख्यालय का होगा।
7. महाकुम्भ मेला-2025 की समाप्ति के उपरान्त भविष्य में उपरोक्त उपकरणों का आपदा सुरक्षा एवं बचाव हेतु समुचित उपयोग का उत्तरदायित्व गृह विभाग/पुलिस रेडियो मुख्यालय का होगा।
8. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
9. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
10. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
11. जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि से क्रय किये गये उपकरणों के रख रखाव संबंधी व्यय विभागीय बजट से किया जायेगा।
13. अनुमोदित कार्य योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले उपकरणों /सामग्रियों का क्रय चालू वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से कर लिया जाये।
14. अनुमोदित कार्य योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले उपकरणों/सामग्रियों का सञ्चालन एवं रख-रखाव गृह विभाग/पुलिस रेडियो मुख्यालय द्वारा किया जायेगा।
15. राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइड लाईन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।
16. प्रश्नगत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि को समयबद्ध रूप से पूर्णरूप में व्यय किये जाने हेत नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनकी जिम्मेदारी इस सबध में सुनिश्चित की जाय ताकि राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग समयबद्ध रूप से हो सके और नोडल अधिकारी को राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 34 ,57,94,579/- (रूपये चौंतीस करोड़ सत्तावन लाख चौरानबे हजार पांच सौ उन्यासी) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-वययक में अनुदान संख्या-051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-10 से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से वयय मानक मद-42 अन्य वयय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित (आय- व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024- 231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत

प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
Signed by
Ram Kewal
Date: 03-07-2024 13:04:46
(राम केवल)
विशेष सचिव,

<u>संख्या- 1095(1)/एक-10-2024 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ ।
4- महानिदेशक, रेडियो, दूरसंचार, उ0प्र0, लखनऊ।
5- अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
6- अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन, प्रयागराज, उ0प्र0।
7- उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार), तकनीकी, रेडियो मुख्यालय, महानगर, लखनऊ।
8- मण्डलायुक्त, प्रयागराज, उ0प्र0।
9- पुलिस आयुक्त, प्रयागराज, उ0प्र0।
10- मेलाधिकारी, कुम्भमेला, प्रयागराज, उ0प्र0।
11- जिलाधिकारी, प्रयागराज, उ0प्र0।
12- राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
13- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
15- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
16- संबंधित जनपद के कोषाधिकारी।
17- गृह (पुलिस) अनुभाग-7 ।
18- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
19- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
20- राजस्व अनुभाग-11 ।
21- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by
Shailendra Mani Tripathi
Date: 03-07-2024 18:33:53
(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-10/07/2024

प्रेषण संख्या:- 1095
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1095
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2506-निदेशक- रेडियो संचार , लखनऊ-01-निदेशक रेडियो	वर्तमान प्रगामी	345794579 345794579	345794579 345794579
	योग	वर्तमान प्रगामी	345794579 345794579	345794579 345794579

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौंतीस करोड़ सत्तावन लाख चौरानवे हजार पाँच सौ उन्नासी
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौंतीस करोड़ सत्तावन लाख चौरानवे हजार पाँच सौ उन्नासी

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन